

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 558 / 2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 21.07.2011

फाइलिंग नंबर : 230303004492010

मै० गांगिल ट्रेडिंग कम्पनी गोहद जिला भिण्ड द्वारा
प्रोपराइटर शिवचरन पुत्र श्री चंदनलाल आयु 52 वर्ष
जाति वैश्य निवासी वार्ड नं० 6 साहू वाली गली गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

— परिवादी

बनाम

मै० सिंघल ट्रेडिंग कंपनी मुरैना द्वारा प्रोपराइटर विष्णु
अग्रवाल पुत्र महादेव अग्रवाल आयु 40 वर्ष निवासी
नैनागढ़ रोड कृषि उपज मण्डी गेट के पास मुरैना जिला
मुरैना म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा-138 परिक्राम्य लिखित अधिनियम)

(परिवादी द्वारा अधिवक्ता—श्री ओ०पी० गुप्ता)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री पी०के० वर्मा)

निर्णय

(आज दिनांक 02-08-2017 को घोषित)

1. आरोपी पर परिक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।
2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि, परिवादी कस्बा गोहद जिला भिण्ड का निवासी होकर मै० गांगिल ट्रेडिंग कंपनी गोहद का प्रोपराइटर है जबकि आरोपी मुरैना का निवासी होकर सिंघल ट्रेडिंग कंपनी मुरैना का प्रोपराइटर है। आरोपी ने परिवादी को प्राप्तव्य राशि में से पांच लाख रुपये का चेक क्रमांक 599732 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सिकरवारी बाजार मुरैना का अपने खाते का दिनांक 10.05.10

को प्रदाय किया था। आरोपी ने परिवादी के प्रतिष्ठान मै0 गांगिल टेडिंग कंपनी गोहद से दिनांक 23.03.10 को 192 क्विंटल कीमत चार लाख सैंतीस हजार सात सौ साठ रुपये क्रय की थी जिसका वेट कर 17510-रुपये अलग देना तय हुआ था। उक्त सरसों ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-जी.1841 द्वारा बेची गयी थी साथ में बिल क्रमांक 498 व कृषि उपज मण्डी का अनुज्ञा पत्र भेजा गया था जिसकी लिखापट्टी की गयी थी इसी प्रकार दिनांक 24.03.10 को 184 क्विंटल सरसों कीमत चार लाख चौदह हजार एक सौ चौरासी रुपये वेट कर 16567-रुपये आरोपी ने क्रय की थी जो ट्रक क्रमांक एम0पी0-07जी0-6163 द्वारा भेजी गयी थी साथ में बिल क्रमांक 499 एवं कृषि उपज मण्डी गोहद का अनुज्ञा पत्र भी भेजा गया था। दिनांक 25.03.10 को 192 क्विंटल सरसों 2322-रुपये कीमत चार लाख पैंतालीस हजार आठ सौ चौबीस रुपये वेट कर 17833-रुपये भेजी गयी थी जो ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-जी.1841 द्वारा भेजी गयी थी एवं साथ में बिल क्रमांक 500 एवं कृषि उपज मण्डी का अनुज्ञा पत्र भी भेजा गया था उक्त सरसों के भुगतान के एवज में आरोपी ने परिवादी को प्राप्तवय रकम में से पांच लाख रुपये का चैक दिनांक 10.05.10 को प्रदाय किया था। उक्त चैक प्राप्त होने के बाद परिवादी ने कलेक्शन हेतु दिनांक 14.05.10 को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा गोहद में प्रस्तुत किया था एवं उक्त चैक दिनांक 26.05.10 को आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादृत होकर उसे वापिस प्राप्त हुआ था। आरोपी ने परिवादी को जानबूझकर रकम से वंचित करने के उद्देश्य से अपने खाते में कम रकम रखी थी। तत्पश्चात परिवादी ने आरोपी को मौखिक रूप से चैक अनादृत होने की जानकारी दी थी तथा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 23.06.10 को सूचना पत्र मय पावती रशीद भेजा था जो दिनांक 26.06.10 को लेने से इंकार की टीप के साथ उसे वापिस प्राप्त हुआ था इस प्रकार अभियुक्त को नोटिस की पूर्ण जानकारी हो चुकी थी एवं अभियुक्त ने सूचना होने के बावजूद भी 15 दिवस की अवधि के अंदर चैक की राशि का भुगतान नहीं किया था। इस कारण परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

3. परिवाद पत्र और संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन से आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया है एवं आरोपी की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।
4. तामील उपरांत आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध परिक्राम्य में लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रतिरक्षा चाही है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
5. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.05.10 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व को उन्मोचित किये जाने के लिये अपने बैंक खाते का चैक क्रमांक 599732 राशि पांच लाख रुपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया ?
 2. क्या विवादित चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में विधि मान्य अवधि में प्रस्तुत किया गया और उक्त चैक अनादृत हुआ ?

3. क्या परिवादी द्वारा विवादित चैक के अनादृत होने की वैधानिक सूचना विहित समयावधि में आरोपी को दी गई ?
4. क्या विवादित चैक के अनादृत होने की सूचना प्राप्त होने पर भी समय सीमा में आरोपी ने चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया ?
7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी शिवचरनलाल अ.सा. 1 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है, जबकि बचाव के दौरान आरोपी विष्णु अग्रवाल वा.सा. 1 द्वारा स्वयं को एवं साक्षी प्रदीप शर्मा वा.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है।

॥ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ॥

॥ विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 ॥

8. इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या आरोपी ने दिनांक 10.05.10 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व उन्मोचित किए जाने के लिए अपने बैंक खाते का चैक क्रमांक 599732 राशि पांच लाख रुपये अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया ? उक्त संबंध में परिवादी शिवचरनलाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह मै0 गांगिल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गोहद में गल्ले का कारोबार करता है तथा आरोपी मुरैना में मै0 सिंघल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गल्ले का व्यापार करता है। आरोपी ने उससे उधार सरसों क्रय की थी जिसके भुगतान के एवज में आरोपी ने उसे दिनांक 10.05.10 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सिकरवारी बाजार मुरैना का अपने खाते का पांच लाख रुपये का चैक प्रदान किया था जो प्र0पी-1 है। परिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में सरसों विक्रय करने के दस्तावेज प्र0पी-7 लगायत प्र0पी-16 भी प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-9 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी की कंपनी को खाद्यान्न का विक्रय करता था आरोपी की कंपनी से खाद्यान्न क्रय नहीं करता था। उसके और आरोपी के मध्य 4-5 साल से व्यवसाय चल रहा था। उसका आरोपी से वर्ष 2007-08 से संव्यवहार चल रहा था उसने वर्ष 2008 से 2010 के मध्य आरोपी को गेहूं एवं सरसों बेची थी। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-10, 11 एवं 12 के बिल पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-14, 15, 16 पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसे याद नहीं है कि उसने दिनांक 23.03.10, 24.02.10 एवं दिनांक 25.03.10 को आरोपी को किस ट्रक क्रमांक से सरसों भेजी थी। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि दलाल गिर्राज एवं सुभाष शर्मा तथा प्रदीप शर्मा के समक्ष आरोपी ने तीन खाली चैक हस्ताक्षर करके उसे दिए थे।
9. आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 ने परिवादी के कथनों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह वर्ष 2006-07 से परिवादी की फर्म से गेहूं क्रय करता था वह 2010 में दलाल गिर्राज गुप्ता के माध्यम से आरोपी से पुनः मिला था एवं वर्ष 2010 में ही मार्च के महीने में आने वाली सरसों की फसल को परिवादी की फर्म से खरीदने के संबंध में बातचीत हुई थी एवं व्यापार प्रारंभ करने से पहले उसने परिवादी को तीन खाली चैक हस्ताक्षर करके दिए थे। परिवादी ने उसे कोई

सरसों नहीं बेची थी इसके बाद उसने परिवादी तथा दलाल गिर्राज से चैक वापिस मांगे थे तो दोनों लोगों ने उसे चैक वापिस नहीं किए थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-1 के चैक पर सिंघल ट्रेडिंग कंपनी मुरैना की सील लगी है एवं उसके हस्ताक्षर हैं। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने परिवादी के अलावा अन्य किसी साक्षी को खाली चैक नहीं दिए थे। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने परिवादी को 8 जनवरी 2010 को चैक दिए थे। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-16 पर उसकी सील लगी हुई है एवं उसके हस्ताक्षर हैं एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने प्र0पी-16 में वर्णित अनुसार सरसों परिवादी से खरीदी थी एवं व्यक्त किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

10. बचाव साक्षी प्रदीप शर्मा वा0सा02 ने भी आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं तीन खाली चैक गारण्टी के रूप में व्यापार आरंभ करने के पहले परिवादी शिवचरनलाल को आरोपी द्वारा दिए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।
11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने परिवादी से सरसों क़य नहीं की थी तथा आरोपी ने अपने हस्ताक्षर करके खाली चैक व्यापार आरंभ करने के पहले परिवादी को दिए थे जबकि तर्क के दौरान परिवादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि आरोपी द्वारा क़य की गयी सरसों की भुगतान के एवज में उसे चैक दिया गया था।
12. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी शिवचरनलाल आ0सा01 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को सरसों उधार बेची थी जिसके भुगतान के एवज में आरोपी ने उसे प्र0पी-1 का चैक परिदत्त किया था। उक्त संबंध में परिवादी द्वारा सरसों विक्रय करने के बिल प्र0पी-10, 11 एवं 12 तथा तथा बिल्टी रशीद प्र0पी-13, 14, 15 एवं वेट टैक्स की रशीद प्र0पी-16 प्रकरण में प्रस्तुत की है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि परिवादी ने उसे कोई सरसों नहीं बेची थी परन्तु उक्त संबंध में आरोपी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है इसके विपरीत आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्र0पी-16 की वेट टैक्स की रशीद पर अपने हस्ताक्षर होना एवं उसकी सील लगी होना स्वीकार किया है परिवादी शिवचरनलाल द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने प्र0पी-10,11,12 के बिल सरसों के साथ आरोपी को भेजे थे। यद्यपि आरोपी ने प्र0पी-10,11,12 के बिल उसे प्राप्त होने से इंकार किया है परन्तु आरोपी द्वारा प्र0पी-16 की रशीद पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है एवं प्र0पी-16 की रशीद पर बिल क्रमांक 499, 498, एवं 500 का उल्लेख है। आरोपी द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है। प्र0पी-16 की रशीद पर आरोपी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है जिससे यही प्रकट होता है कि आरोपी ने परिवादी से सरसों क़य की थी।
13. आरोपी द्वारा यह बचाव लिया गया है कि परिवादी ने परिवाद पत्र में बिक्रीत सरसों का मूल्य 12,97,778-रुपये लेख किया है एवं अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में 11,87,203-रुपये आरोपी पर होना लेख किया है परन्तु उक्त तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके कारण परिवादी के कथनों को अविश्वसनीय माना जाये।
14. प्रकरण में आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह वर्ष 2006-07 से परिवादी को जानता है एवं वह परिवादी की फर्म से गेहूं क़य किया करता था। आरोपी के उक्त कथन से यह तो स्पष्ट है कि परिवादी एवं आरोपी के

मध्य व्यापारिक संबंध थे एवं आरोपी परिवारी से खाद्यान्न क्रय करता था। आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 ने यह भी व्यक्त किया है कि वर्ष 2010 में दलाल गिराज गुप्ता के माध्यम से मार्च के महीने में परिवारी की फर्म से सरसों की फसल खरीदने के संबंध में परिवारी से बातचीत हुई थी। आरोपी के उक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि परिवारी एवं आरोपी के मध्य सरसों क्रय करने के संबंध में बातचीत भी हुई थी। आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि उसने परिवारी को व्यापार प्रारंभ करने के पूर्व तीन खाली चैक बतौर गारण्टी दिए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने 8 जनवरी 2010 को परिवारी को चैक दिए थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी ने अपने मुख्यपरीक्षण में मार्च 2010 में परिवारी से सरसों क्रय करने के संबंध में बातचीत करना एवं बतौर गारण्टी तीन चैक देना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसने 8 जनवरी 2010 को परिवारी को चैक दिए थे। आरोपी के ही कथनानुसार यदि उसने परिवारी से मार्च 2010 में सरसों क्रय करने के संबंध में बातचीत की थी तो उसके द्वारा बातचीत के पूर्व ही 8 जनवरी 2010 को परिवारी को खाली चैक किस संव्यवहार के एवज में दिए गए थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी का यह कथन कि उसने परिवारी को प्र0पी-1 का खाली चैक बतौर गारण्टी दिया था सत्य नहीं है।

15. जहां तक बचाव साक्षी प्रदीप शर्मा वा0सा02 के कथन का प्रश्न है तो प्रदीप शर्मा वा0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने परिवारी शिवचरनलाल को उसके सामने तीन चैक अपने हस्ताक्षर करके दिए थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे सरसों की खरीद के बारे में जानकारी नहीं है। अगर विष्णु ने पहले भी 2-4 ट्रक सरसों ली हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी प्रदीप शर्मा वा0सा02 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी को परिवारी एवं आरोपी के मध्य व्यापारिक संव्यवहार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है एवं वह मात्र आरोपी से हितबद्ध होने के कारण आरोपी के पक्ष में कथन कर रहा है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में परिवारी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने आरोपी को सरसों विक्रय की थी जिसके भुगतान के एवज में आरोपी द्वारा उसे प्र0पी-1 का राशि पांच लाख रुपये का चैक दिया गया था। परिवारी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सरसों विक्रय करने की बिल रशीद एवं वेट टैक्स की रशीद प्र0पी-10 लगायत 16 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। बचाव पक्ष की ओर से परिवारी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु परिवारी शिवचरनलाल आ0सा01 का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विसंगतियों से परे रहा है। आरोपी द्वारा प्र0पी-16 की रशीद पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया गया है। आरोपी द्वारा जो बचाव लिया गया है वह भी सत्य नहीं है। आरोपी की ओर से परिवारी के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी ने प्र0पी-1 के चैक पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में परिवारी की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है एवं परिवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि परिवारी शिवचरनलाल ने आरोपी को सरसों विक्रय की थी जिसके भुगतान के एवज में आरोपी ने प्र0पी-1 का चैक परिवारी शिवचरनलाल को दिया था।

17. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी विष्णु अग्रवाल वा0सा01 द्वारा प्र0पी-1 के चैक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है प्र0पी-1 का चैक

आरोपी की ओर से जारी किया जाना दर्शित है इसलिए परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा परिवादी के पक्ष में लागू होती है। परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 में व्यक्त किया गया है कि जब तक अन्यथा साबित न कर दिया जाये तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण अथवा दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा खण्डनीय है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे इस उपधारणा का खण्डन हो सके। फलतः प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के पक्ष में धारा 139 की उपधारणा लागू होती है एवं इस बिन्दु पर उभयपक्षों द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने विधितय प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व को उन्मोचित किए जाने के लिए परिवादी को अपने खाते का चैक क्रमांक 599732 दिनांक 10.05.10 राशि पांच लाख रुपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया था।

/// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 ///

18. इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी शिवचरनलाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य के पद क्रमांक 3 में व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी-1 के चैक को भुगतान हेतु अपने बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा गोहद में दिनांक 14.05.10 को लगाया था जिसकी रशीद प्र0पी-2 है उक्त चैक आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण दिनांक 26.05.10 को अनादृत होकर उसे वापिस प्राप्त हो गया था। उक्त संबंध में बैंक द्वारा ज्ञापन दिया गया था जो प्र0पी-3 है। आरोपी की ओर से परिवादी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्र0पी-2 एवं प्र0पी-3 के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा प्र0पी-1, प्र0पी-2 एवं प्र0पी-3 का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि प्र0पी-1 के चैक पर तिथि 10.05.10 अंकित है एवं प्र0पी-2 की रशीद के अनुसार प्र0पी-1 का चैक दिनांक 14.05.10 को भुगतान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा गोहद में जमा किया गया था एवं प्र0पी-3 के ज्ञापन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्र0पी-1 का चैक आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण दिनांक 26.05.10 को अनादृत हो गया था। इस प्रकार प्र0पी-1, प्र0पी-2 एवं प्र0पी-3 के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्र0पी-1 का चैक जारी होने की विधिमान्य अवधि के अंदर ही भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया था जोकि आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादृत हो गया था।
19. अतः समग्र अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि चैक क्रमांक 599732 दिनांक 10.05.10 परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्त किए जाने हेतु बैंक में विधि मान्य अवधि में प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त चैक भुगतान न होने से अनादृत हो गया था।

20.

/// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3 ///

21. इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी शिवचरनलाल आ0सा01 ने अपने परीक्षण के पद क्रमांक 5 में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को चैक की राशि अदा करने के संबंध में दिनांक 23.06.10 को प्र0पी-4 का सूचना पत्र भेजा था जिसकी रजिस्ट्री रशीद प्र0पी-5 है आरोपी ने सूचना पत्र लेने से इंकार कर दिया था उक्त लिफाफा प्र0पी-6 है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को चैक का भुगतान न होने के संबंध में कोई सूचना

नहीं दी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने आरोपी को मांग का सूचना पत्र भेजा था उस समय आरोपी मुरैना जेल में था।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपी को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था जिस समय परिवादी ने आरोपी को चैक की राशि की मांग का सूचना पत्र भेजा था उस समय आरोपी मुरैना जेल में था। इस प्रकार बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि जिस समय परिवादी ने आरोपी को चैक की राशि की मांग का सूचना पत्र भेजा था उस समय आरोपी जेल में था परन्तु उक्त संबंध में कोई प्रमाण आरोपी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसने प्र०पी-4 का सूचना पत्र आरोपी को भेजा था जिसकी पोस्टल रशीद प्र०पी-5 है। न्यायालय द्वारा प्र०पी-4, 5 एवं प्र०पी-6 का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि प्र०पी-4 का सूचना पत्र दिनांक 23.06.10 को भेजा गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि प्र०पी-5 की पोस्टल रशीद से भी हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि प्र०पी-4 का सूचना पत्र प्र०पी-5 की पोस्टल रशीद के माध्यम से दिनांक 23.06.10 को आरोपी को भेजा गया था। उक्त सूचना पत्र आरोपी के सही पते पर भेजा गया था एवं उक्त सूचना पत्र लेने से इंकार की टीप के साथ दिनांक 26.06.10 को परिवादी को वापिस प्राप्त हुआ था जिसका लिफाफा प्र०पी-6 है।
23. इस प्रकार उपरोक्त अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी को प्र०पी-4 का सूचना पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके सही पते पर भेजा गया था एवं न्यायदृष्टांत सी.सी. अलावी हाजी वि० पालापेट्टी मोहम्मद और अन्य 2008 भाग-3 एम.पी.एच.टी. 115 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायमत प्रतिपादित किया गया है कि यदि मांग का सूचना पत्र चैक लिखने वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके सही पते पर भेजा जाता है तो धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत एफ एवं साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 से ऐसी उपधारणा उत्पन्न होती है कि नोटिस तामील हो गया है।
24. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने आरोपी को प्र०पी-4 का सूचना पत्र भेजना और आरोपी द्वारा लेने से इंकार करना तथा उसे उक्त टीप के साथ प्र०पी-6 का लिफाफा प्राप्त होना बताया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि जिस पते पर प्र०पी-4 का सूचना पत्र परिवादी द्वारा भेजा गया था वह पता आरोपी का नहीं है उक्त संबंध में आरोपी की ओर से परिवादी से कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है। प्र०पी-3 के ज्ञापन के अनुसार प्र०पी-1 का विवादित चैक दिनांक 26.05.10 को अनादृत हुआ है एवं प्र०पी-4 का सूचना पत्र प्र०पी-5 की पोस्टल रशीद के माध्यम से दिनांक 23.06.10 को भेजा गया है। इस प्रकार विवादित चैक के अनादृत होने की सूचना तीस दिन के अंदर परिवादी द्वारा आरोपी को दी गयी है। सूचना पंजीकृत डाक से दी गयी है इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत सी.सी.अलावी हाजी के आधार पर प्र०पी-4 के नोटिस की तामीली अभियुक्त पर मानी जावेगी तथा इस संबंध में प्रारंभिक भार परिवादी ने उन्मोचित कर दिया है तथा इसके प्रतिकूल कि सूचना पत्र आरोपी को प्राप्त नहीं हुआ है यह दायित्व आरोपी ने साबित नहीं किया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त विचारणीय प्रश्न इस रूप में प्रमाणित पाया जाता है कि परिवादी ने विवादित चैक के अनादृत होने की सूचना विहित समयावधि में आरोपी को दे दी थी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 //

25. इस विचारणीय प्रश्न में न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि, क्या चैक अनादृत होने की सूचना की प्राप्ति पर आरोपी ने समय सीमा के अंदर, चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया ? इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में

परिवादी शिवचरनलाल अ.सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पद क्र. 5 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी उसे विवादित चैक की राशि अदा नहीं की है।

26. परिवादी के इस कथन का आरोपी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं ना ही आरोपी का ऐसा कहना है कि उसने सूचना पत्र प्राप्ति के बाद विवादित चैक की राशि का भुगतान परिवादी को कर दिया है। फलतः यह विचारणीय प्रश्न इस रूप में परिवादी के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने विवादित चैक के अनादृत होने के पश्चात् परिवादी से वैधानिक सूचना प्राप्त होने पर भी समय सीमा में चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है।
27. फलतः समग्र अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने दिनांक 10.05.10 को परिवादी से विधितया प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व को उन्मोचित किये जाने के लिए अपने बैंक खाते का चैक क्रमांक 599732 राशि पांच लाख रुपये परिवादी को दिया जो कि आरोपी के खाते में चैक की पर्याप्त राशि न होने के कारण अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा चैक के अनादृत होने की सूचना आरोपी को दी गयी एवं आरोपी ने सूचना प्राप्ति के पश्चात् भी परिवादी को चैक की राशि सात लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। अतः यह न्यायालय आरोपी विष्णु अग्रवाल को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।
28. सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

पुनश्च :-

29. सजा के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।
30. आरोपी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। परिवादी की ओर से आरोपी की कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु आरोपी ने यह जानते हुये कि उसके खाते में चैक की राशि नहीं है पांच लाख रुपये का चैक परिवादी को दिया है। चैक अनादृत होने के कारण परिवादी को न्यायालय में कार्यवाही करनी पड़ी है एवं उसे मानसिक संताप भी हुआ है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये आरोपी विष्णु अग्रवाल को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वह द0प्र0सं0 की धारा 357(3) के अंतर्गत 7,10,000/— (सात लाख दस हजार) रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर परिवादी को अदा करे।
31. आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन

किये जाते हैं।

32. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा हो उसके संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के अन्तर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे जो कि निर्णय का भाग रहेगा। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बितायी गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जाये। आरोपी इस प्रकरण न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

तदनुसार आरोपी का सजा वारण्ट बनाया जाये।

स्थान – गोहद

दिनांक – 02.08.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)